प्रेस विज्ञप्ति

अल्पकालीन निविदा

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, हेतिमपुर, चकिया, चन्दौली के संवासी छात्रों के उपयोगार्थ दैनिक उपयोग की सामग्रियों एवं शासन द्वारा निर्धारित दर, मीनू एवं शर्तो के अधीन भोजन व्यवस्था हेतु शासकीय अनुमोदित संस्थाओं से दर आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा फार्म 100 रू0 के शुल्क के साथ, कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, चन्दौली से प्रत्येक कार्य दिवस में दिनाक 27.6.15 से 6.7.15 तक 1[illegible] बजे से [illegible] बजे तक प्राप्त की जा सकती है तथा निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 6.7.2015 है। निविदा 6.7.2015 को विकास भवन के सभागार कक्ष में खोली जायेगी। निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं सूचना **www. chandauli.nic.in** एवं कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

(मीना श्रीवास्तव)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
चन्दौली।

निविदा फार्म संख्या –   / 2015–16   मूल्य :– 100.00

कार्य संविदा/निविदा प्रपत्र

क्र0सं0	निविदादाता का नाम	विवरण	संलग्नक संख्या
1	निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम रजिस्ट्रेशन नं0 सहित		
2	TIN नं0		
3	PAN नं0		
4	फर्म का पता		
5	निविदादाता का नाम तथा पूरा पता दूरभाष नं0 सहित		
6	धरोहर धनराशि का विवरण	बैंक का नाम – धरोहर धनराशि किस रूप में जमा की जा रही है – डी0डी0/एन0एस0सी/अन्य .... दिनांक – .... धनराशि –	
7	क्या निविदादाता कभी किसी अपराधिक मामले में किसी भी रूप में दण्डित हुआ है? यदि हां तो विवरण दें। (निकटतम थाने द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें)		
8	कैटरिंग संबंधी लाईसेंस का विवरण		
9	हैसियत प्रमाण पत्र (जिलाधिकारी द्वारा दिया गया)		
10	क्या निविदादाता की फर्म को कभी किसी शासकीय विभाग द्वारा काली सूची में डाला गया है? यदि हां तो विवरण दें।		
11	कार्यानुभव (क्रमवार लिखें तथा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)		

नोट– समस्त बिन्दुओं के सर्मथन में प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। प्रत्येक दावे के सर्मथन में प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें तथा दिये गये स्थान पर संलग्नक संख्या अंकित करें।

घोषणापत्र

मै एतत् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सभी जानकारी सही सही दी गयी है। कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं निविदा की सभी नियम एवं शर्तों से सहमत हूँ तथा तद्नुसार निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ।यदि मेरे द्वारा दिया गया कोई भी विवरण असत्य पाया जाता है अथवा मेरे द्वारा किसी तथ्य का छिपाया जाना पाया जाता है तो मेरी निविदा निरस्त कर दी जाय तथा मेरे द्वारा दी गयी धरोहर राशि जब्त कर ली जाय। ऐसी दशा में मेरे फर्म को काली सूची में डालने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं समिति द्वारा लिये गये निर्णय को सर्वमान्य मानूंगा। यदि किसी कारण से मेरा निविदा प्रपत्र निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। निविदा प्रपत्र के साथ नियत धनराशि, धरोहर धनराशि के रूप में प्रपत्र के साथ संलग्न है। कृपया निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित करने की कृपा करें।

दिनांक –   हस्ताक्षर

स्थान –

निविदा फार्म संख्या – /2015–16 मूल्य – 100 रू0

जिला समाज कल्याण अधिकारी, चन्दौली

नाश्ते–भोजन के लिए मेस आधारित व्यवस्था

क्र.	वस्तु का नाम	विवरण	निविदा दर
1	2	3	4
1	निदेशालय के निर्धारित मीनू के अनुसार प्रातः दोपहर एवं सायं नाश्ते तथा प्रातः भोजन एवं रात्रि भोजन की व्यवस्था	प्रति छात्र प्रति माह	

नोट – निविदा दर प्रतिछात्र प्रति माह के आधार पर, सभी करों सहित, दें। सशर्त निविदा या अतिरिक्त सेवा कर आदि स्वीकार्य नहीं होगी। भोजन व्यवस्था के अतिरिक्त विशेष अवसरों पर दिये जाने वाले फल, मिठाई आदि जैसा कि निविदा शर्तें एव नियमावली में वर्णित है, तथा दैनिक उपयोग की आवश्यकतानुसार मांग किए जाने पर आपूर्ति की जिम्मेदारी निविदा प्राप्त करने वाले फर्म की होगी। जिसके लिये न्विविदादाता द्वारा फल एवं मिठाइयों की दर क्रय समिति द्वारा स्वीकृत करायी जायेगी यह दर प्रत्येक तीन माह हेतु मान्य होगी। तत्पश्चात दरों का पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा। तथा अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं का मूल्य अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से किसी भी दशा में अधिक नहीं होनी चाहिये।

घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी दर उचित एवं प्रमाणिक है। और मैं उक्त दर पर विद्यालय तक आपूर्ति देने को तैयार हूँ। मै आपूर्ति के सम्बन्ध में नियत नियमावली नियम 11 के क्रम संख्या 1 लगायत 37 से पूर्णतया सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता

फर्म का नाम एवं टिन न0 –

मोबाईल नं0–

5

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

संख्या– C-59 /स0क0/विकास /बैठक–एटीएस–मीनू/2009–10,
दिनांक : लखनऊ : मई 05 ,2009.

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 4442/26–3–2008–14(13)/80 टीसी दिनांक 02 दिसम्बर,2008 द्वारा अनुसूचित जाति,विमुक्त जाति तथा स्वच्छकार वर्ग के छात्रों के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के भोजन व्यय (भरण–पोषण)की दरों में वृद्धि की गयी है । उक्त के परिप्रेक्ष्य में भोजन के मीनू को संशोधित कर सम्यक विचारोपरान्त निम्न मीनू के अनुसार छात्रों को भोजन /नाश्ता की व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

अ–सुबह का नाश्ता (प्रातः 7.00बजे)

250 ग्राम मीठा दूध प्रतिदिन (पराग/अमूल ग्रेड या कोआपरेटिव डेयरी/स्थानीय व्यवस्था जहाँ को आपरेटिव डेयरी नहीं है)

निम्नलिखित खाद्य सामग्री में से कोई एक

1 नमकीन पूड़ी–4
2 सूजी का हलवा 125 ग्राम
3 फ्राइड चना/अंकुरित मूँग,टमाटर प्याज के साथ (50 ग्राम)
4 स्टफड पराठे (आलू/मूली/गोभी)2, अचार/चटनी
5 बन्द–2,मक्खन 20 ग्राम
6. ब्रेड पकौड़ा 2
7. पोहा/उपमा 150 ग्राम

ब–दोपहर का भोजन (प्रातः 9.30बजे)

1-- दाल (अरहर/चना/मूँग/उरद/राजमा/साँभर/कढ़ी/मसूर, छोला) 45 ग्राम प्रति छात्र/छात्रा के औसत से
2-- रोटी
3-- चावल
4-- सूखी सब्जी
5-- सलाद (प्याज,हरी मिर्च,टमाटर,खीरा,बन्द गोभी/मूली/गाजर/चुकन्दर)

स–मध्यावकाश नाश्ता(1.30 बजे)

ग्रीष्म कालीन– 01 केला +01 मौसमी फल (खीरा/ककडी/100 ग्राम पपीता)
शीत कालीन– 01 अमरूद/केला+50 ग्राम मूँगफली/सेब

द–सायंकालीन नाश्ता (सायं 4.00बजे)

चाय प्रतिदिन (04 बिस्कुट पारले जी/लाई, चना 50ग्राम/बन्द मक्खन आदि में बदल–बदल कर)

य–रात्रिकालीन भोजन (रात्रि 8.00बजे)

1-- रसेदार सब्जी/दाल
2-- सूखी/रसेदार सब्जी
3-- रोटी
4-- चावल
5-- सलाद
6-- 1पीस मीठा स्टैण्डर्ड गुणवत्तायुक्त (खोया बर्फी,लड्डू,लईया पट्टी चिकी,गजक)

नोटः– (1)– सब्जियाँ,फल,सलाद मौसम के अनुसार बदल–बदल कर मीनू में सम्मिलित की जायेगी।
(2)– इसके अतिरिक्त केटरर सप्ताह में रविवार के दिन रात्रि भोजन में पनीर की सब्जी,पूडी चावल, पापड, मिठाई/खीर के साथ देना अनिवार्य होगा।